पत्रावली लोक में। गै.आ.न.2 की ओर से श्री रामकिशोर एवं प्रा. 1 की ओर से श्री रामकिशोर गोयल अधि. द्वारा बयान तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। गै.आ.न. 2 को बारबार अवसर प्रदान किया गया। गै.आ.न. 2 को विपक्षियान तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं, अतः गै.आ.न. 2 को विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने की पत्रावली वास्ते धारा 145 जाब्ता दाखिल 28/3/16 को पेश हो।

28/3/16 पत्रावली पेश हुई। पूर्वानुसार दिनांक 11/5/16 को पेश हो।

Not Press

10/6/16

10/6/16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर में पेश हुई। वकील तामील श्री अशोक मीणा उप० हुये। जिन्होंने पत्रावली Not Press किये जाने चाहा। इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का मूल दावा भी Not Press पूर्व के किया जा चुका है। अतः प्रारम्भिक अस्थाई निषेधाज्ञा Not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner